

**HARYANA VIDHAN SABHA**  
**Bill No. 39—HLA OF 2022**  
**THE HARYANA MUNICIPAL (SECOND AMENDMENT)**  
**BILL, 2022**

**A**

**BILL**

*further to amend the Haryana Municipal Act, 1973.*

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Haryana Municipal (Second Amendment) Act, 2022. Short title.
  2. After clause (7A) of section 2 of the Haryana Municipal Act, 1973 (hereinafter called the principal Act), the following clause shall be inserted, namely:- Amendment of section 2 of Haryana Act 24 of 1973.

“(7B) ‘core area’ means built-up area within the municipal limit planned or developed fifty years before the coming into force of this amendment Act and which due to urbanization and efflux of time require replanning of land use and also includes built-up area of village abadi, which has subsequently been included in municipal limit;”.
  3. In sub-section (2) of section 203C of the principal Act,- Amendment of section 203C of Haryana Act 24 of 1973.
    - (i) after the words “controlled area”, the words “and core area” shall be inserted;
    - (ii) in the existing proviso, for the sign “.”, the sign “:” shall be substituted; and
    - (iii) the following proviso shall be added at the end, namely:-

“Provided further that the mixed land use shall be permitted in core area subject to the planning parameters and payment or recovery of such charges, as may be notified by the State Government.”.
-

### STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In the Haryana Municipal Act, 1973, there are provisions to notify controlled area in and around municipal limits. Further, to regulate the haphazard development around municipal towns, there is provision in the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 for declaration of controlled area and publication of development plan for such controlled area. The area within the municipal town is governed and regulated by Haryana Municipal Act, 1973. For the purpose of integrated planning of the area, the proposals of controlled areas and development plans notified under the provisions of Act of 1963 are adopted within the municipal limit under the Haryana Municipal Act, 1973.

With the above setup of controlled areas and development plans, the town existing is shown in the development plan with different terms like 'Existing Town/Core Area/Old Town' etc. Since, the existing town had been developed in haphazard manner, hence no land use is defined for the "Existing town" in the Development Plan. Moreover, where controlled area was declared around the existing municipal limit, the vacant areas within the said municipal limit, were assigned various land uses in the Development plans, which are only advisory in nature as provisions of Act of 1963 are not applicable in that area.

Further, the existing town or core area, which is basically mixed land use area, has neither been defined in the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 nor in Haryana Municipal Act, 1973. Conventionally municipalities approve the building plans considering mixed nature of land uses in core areas, but the core area has not been defined in any Act. As such, there is no clarity on the core area and mixed land uses. This has caused confusion with respect to the development plan proposals applicable in such areas called with various terminologies i.e. Old Area/ Core Areas/ Original municipal limit etc.

Therefore, to clarify the confusion, there is necessity to define the 'Core Area' by carrying out amendment in the Haryana Municipal Act, 1973 by inserting the definition of core area and providing provision related to mix land use in the core area.

KAMAL GUPTA,  
Urban Local Bodies Minister, Haryana.

Chandigarh :  
The 25th December, 2022.

R.K. NANDAL,  
Secretary.

---

*N.B.*— The above Bill was published in the Haryana Government Gazette (Extraordinary), dated the 25th December, 2022, under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly.

**ANNEXURE**

**Extract from the Haryana Municipal Act, 1973**

Section 203C sub-section (2) Declaration of controlled area.—

The Director shall not later than six months from the date of declaration under sub-section (1), or within such further period as the State Government may allow, prepare plans showing the controlled area and signifying therein the nature of restriction and conditions proposed to be made applicable to the controlled area and submit the plans to the State Government:

Provided that the plans of the areas already declared as controlled areas by the Director, Town and Country Planning and nature of restrictions and conditions made applicable to such controlled areas, may be adopted as such or with modifications by the Director, with prior approval of the State Government.



हरियाणा विधान सभा

2022 का विधेयक संख्या-39 एच०एल०ए०

हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022

हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973,  
को आगे संशोधित करने के लिए  
विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. यह अधिनियम हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2022, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (7क) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :- 1973 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 2 का संशोधन।

“(7ख) ‘कोर क्षेत्र’ से अभिप्राय है, इस संशोधन अधिनियम के लागू होने से पचास वर्ष पूर्व योजनाबद्ध या विकसित नगरपालिका सीमा के भीतर निर्मित क्षेत्र और जिसे शहरीकरण तथा समय व्यतीत होने के कारण भूमि उपयोग की पुनर्योजना की आवश्यकता है और इसमें ग्राम आबादी का निर्मित क्षेत्र भी शामिल है, जिसे नगरपालिका सीमा में, बाद में शामिल किया गया है;”।

3. मूल अधिनियम की धारा 203ग की उपधारा (2) में,-

(i) “नियन्त्रित क्षेत्र” शब्दों के बाद, “तथा कोर क्षेत्र” शब्द रखे जाएंगे;  
(ii) विद्यमान परन्तुक में, “।” चिह्न के स्थान पर, “:” चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;

1973 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 203ग का संशोधन।

(iii) अन्त में, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु यह और कि राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित योजना मानदण्डों तथा ऐसे प्रभारों के भुगतान या वसूली के अध्याधीन, कोर क्षेत्र में मिश्रित भूमि उपयोग अनुमत किया जाएगा।”।

## उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 में नगर पालिका सीमा में और उसके आस पास नियंत्रित क्षेत्र को अधिसूचित करने का प्रावधान है। इसके अलावा नगर पालिकाओं के आस पास बेतरतीब विकास को विनियमित करने के लिए पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 के तहत नियंत्रित क्षेत्रों की घोषणा और ऐसे नियंत्रित क्षेत्रों के लिए विकास योजना के प्रकाशन का प्रावधान है। नगर पालिका शहर के भीतर का क्षेत्र हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 द्वारा शासित और विनियमित किया जाता है। क्षेत्र की एकीकृत योजना के उद्देश्य से 1963 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिसूचित नियंत्रित क्षेत्रों और विकास योजनाओं के प्रस्तावों को नगर पालिका सीमा में हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 के तहत अपनाया गया है।

नियंत्रित क्षेत्रों व विकास योजनाओं के उपरोक्त स्थिति के साथ मौजूदा शहर को विकास योजना में विभिन्न शब्दों जैसे कि 'मौजूदा शहर' / कोर एरिया / पुराना शहर आदि का प्रयोग द्वारा दर्शाया जाता है। चूंकि, 'मौजूदा शहर' बेतरतीब ढंग से विकसित हुए हैं, इसलिए मौजूदा शहरों में विकास योजना में कोई भूमि उपयोग को परिभाषित नहीं किया गया है। इसके अलावा, जहां नियंत्रित क्षेत्र नगर पालिका सीमा के चारों तरफ घोषित किए गए हैं, उक्त नगर पालिका सीमा के भीतर खाली पड़े क्षेत्रों को विकास योजनाओं में विभिन्न भूमि उपयोगों में नियत किया गया है, जो कि केवल सलाहकार प्रवृत्ति के हैं क्योंकि 1963 के अधिनियम के प्रावधान इन क्षेत्रों में लागू नहीं होते।

इसके अलावा, मौजूदा शहर या कोर क्षेत्र, जो मूल रूप से मिश्रित भूमि उपयोग क्षेत्र है, को न तो पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 और न ही हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 में परिभाषित किया गया है। पारंपरिक रूप से नगर पालिकाओं में भवन योजनाओं को कोर क्षेत्रों में मंजूर करते हुए इसे मिश्रित भू उपयोग प्रकृति का मानती है परंतु किसी भी अधिनियम में कोर क्षेत्र को परिभाषित नहीं किया गया है। इस प्रकार कोर क्षेत्र और मिश्रित भूमि उपयोगों पर कोई स्पष्टता नहीं है। इससे ऐसे क्षेत्रों में विकास योजनाओं के प्रस्तावों के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की शब्दावली जैसे कि 'मौजूदा शहर' / कोर एरिया / पुराना शहर आदि के कारण भ्रम उत्पन्न होता है।

अतः इस भ्रम को दूर करने के लिए हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 में संशोधन के द्वारा कोर क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए कोर क्षेत्र की परिभाषा और मिश्रित भू उपयोग संबंधी प्रावधान कोर क्षेत्र में करने की आवश्यकता है।

कमल गुप्ता,

शहरी स्थानीय निकाय मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :

दिनांक : 25 दिसम्बर, 2022

आर० के० नांदल,

सचिव।

**अवधेय:** उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 25 दिसम्बर, 2022 के हरियाणा गवर्नमेंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

**अनुबन्ध****हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1973 से उद्धरण**

धारा 203 (ग) की उप धारा (2) :-नियंत्रित क्षेत्र की घोषणा:-

निदेशक, उप धारा (1) के अधीन घोषणा की तिथि से छह मास अपश्चात् या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर, जो सरकार अनुज्ञात करे, नियन्त्रित क्षेत्र को दर्शाते हुए और इसमें नियन्त्रित क्षेत्र में लागू किये जाने के लिए प्रस्तावित निर्बन्धनों तथा शर्तों के स्वरूप को दर्शाते हुए योजनाएं तैयार करेगा और योजनाओं को सरकार को प्रस्तुत करेगा :

बेशर्त की निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना द्वारा पहले से ही नियंत्रित क्षेत्रों के रूप में घोषित क्षेत्रों की योजनाओं और ऐसे नियंत्रित क्षेत्रों पर लागू होने वाले प्रतिबन्धों और शर्तों की प्रकृति को इस तरह से या निदेशक द्वारा संशोधनों के साथ, राज्य सरकार से पूर्व अनुमोदन के साथ अपनाया जा सकता है।

